बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17–योजना(बाह्य स्रोतीकरण)–22 / 2012 ....

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना। पटना, दिनांक :–

विषय :– आधुनिक तकनीक से सर्वे / री–सर्वे कार्यक्रम के अन्तर्गत भू–धारियों के लिए खानापुरी पर्चा तैयार करने के कार्य को बाह्य स्रोत से कराने हेतु निविदा प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि आधुनिक तकनीक से सर्वे / री–सर्वे कार्यक्रम के अन्तर्गत भू–धारियों के लिए खानापुरी पर्चा तैयार करने के कार्य को बाह्य स्रोत से कराने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य हेतु एजेंसी चयन के लिए निविदा का प्रारूप पत्र के साथ सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में संलग्न किया जा रहा है। **वित्तीय निविदा समर्पित करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर 2012 को 5:00 बजे अपराहन् तक निर्धारित की गई है।**

अनुरोध है कि निविदा सूचना को राष्ट्रीय स्तर के हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों के साथ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के विभागीय वेबसाईट पर भी प्रकाशित करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक :– सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी की छः प्रतियाँ

विश्वासभाजन
ह0 / –
(कल्पना कुमारी)
सहायक निदेशक

ज्ञापांक :– 17–योजना(बाह्य स्रोतीकरण)–22 / 2012 –1773 **पटना, दिनांक** :–08/11/12

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
सहायक निदेशक

D:\Year, 2012\Prakash Ranjan\Assistant Director\letter to Director, Information Department.doc

बिहार सरकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
मुख्य सचिवालय, पटना – 800015

निविदा आमंत्रण सूचना

बिहार राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य द्वारा भू–अभिलेख (सर्वे मानचित्र एवं खतियान) को अद्यतन करने के लिए विभाग द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 अधिनियमित किया गया है। इसके तहत प्रत्येक राजस्व ग्राम के प्रत्येक रैयत का अद्यतन खतियान तैयार करते हुए इसे अद्यतन मानचित्र के साथ Integrate किया जाएगा। प्रत्येक रैयत का खतियान तैयार करने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में डाटा का संकलन तथा संबंधित बंदोबस्त कार्यालय द्वारा सत्यापन के उपरांत सत्यापित डाटा का खतियान के प्रपत्र में इंट्री करते हुए सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी तैयार करने के लिए विभाग को योग्य एवं अनुभवी एजेंसी की सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए अंतिम रूप से चयनित एजेंसी को राजस्व ग्राम के प्रत्येक खेसरा के आधार पर राशि का भुगतान किया जाएगा। चयनित एजेंसी से सर्वप्रथम नालंदा जिला के कतरीसराय अंचल में पायलट आधार पर कार्य कराया जाएगा। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के आधार पर इस एजेंसी से अन्य जिलों में कार्य कराने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 के नियम संख्या –. 13(11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप की तैयारी तथा दावाकर्त्ता/आक्षेप एवं भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों को तामिल करने हेतु सूचनाओं का प्रारूप तैयार करने एवं अधिकार अभिलेख (खतियान) के प्रपत्र में डाटा इंट्री कार्य करते हुए सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में अभिलेख तैयार करने के लिए अनुभवी एवं दक्ष एजेंसियों से निम्नांकित कार्यो हेतु दर आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. प्रपत्र – 7 में तैयार किये गये खानापुरी पर्चा को सरकारी भूमि/लोक भूमि से संबंधित पदाधिकारियों सहित भू–धारी/स्वामी को तामिल कराना।
2. प्रपत्र – 7 में तैयार खानापुरी पर्चा की तामिला के समय यदि रैयत या उसके निकट संबंधी द्वारा प्राप्ति से इंकार किया जाय तो उसे घर के सामने वाले दरवाजा/दीवार पर चिपका कर तामिल करना।
3. खानापुरी के दौरान प्राप्त दावों/आक्षेपों के निपटारा हेतु संबंधित पक्षकारों को प्रपत्र –11 में सुनवाई का स्थान तिथि एवं समय की सूचना उपलब्ध कराना।

4. भू–धारी / स्वामी को सुविधाजनक स्थान एवं बंदोबस्त कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर खानापुरी पर्चा की प्रविष्टियों से अवगत कराना।

5. दावों / आक्षेपों का निपटारा के उपरांत पारित आदेश की सत्यापित प्रति के आधार पर अधिकार अभिलेख (खतियान) के प्रारूप प्रकाशन के लिए प्रपत्र – 12 में डाटा इंट्री करते हुए सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी तैयार करना।

6. संबंधित एजेंसी द्वारा पर्चा तामिल करने के लिये जहाँ तक संभव हो पंचायत प्रतिनिधि ग्राम–चौकीदार तथा अन्य स्थानीय निवासियों का हस्ताक्षर तामिल प्रतिवेदन पर प्राप्त करना।

7. दावों / आक्षेपों के संक्षिप्त विवरण के साथ प्रपत्र – 17 में सभी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई के स्थान, तिथि एवं समय की जानकारी उपलब्ध कराना।

शर्ते :–

1. निविदा समर्पित करने वाली एजेंसी के पास भू–अभिलेखों से संबंधित कार्यो का अनुभव होना चाहिए।

2. निविदा समर्पित करने वाली एजेंसी द्वारा पैन नं0 एवं आयकर रिर्टन से संबंधित कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3. निविदा समर्पित करने वाली एजेंसी द्वारा उपर्युक्त कार्यो के लिए समय सीमा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

4. निविदा समर्पित करने वाली एजेंसी द्वारा उपर्युक्त कार्यो के लिए आवश्यक कार्यबल, सिस्टम (कम्प्यूटर, हार्डवेयर), ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर तथा स्टेशनरी की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी।

5 वित्तीय निविदा समर्पित करने की अन्तिम तिथि–30 नवम्बर 2012 को 5:00 बजे अपराह्न् तक निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप, पुराना सचिवालय के कार्यालय में।

वित्तीय निविदा :– वित्तिय निविदा निम्नांकित प्रपत्र में समर्पित किया जाएगा :–

क्र0 सं0	एजेंसी द्वारा किए जाने वाले कार्य	प्रति खेसरा दर	कुल राशि (अंक एवं शब्द में)

(कल्पना कुमारी)
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

दूरभाष संख्या :– 0612–2217108

फैक्स संख्या :– 0612–2217107

E-Mail :- directorlrs@gmail.com